

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची-834010.

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (मुख्य)

(विज्ञापन सं०-21/2016)

आवश्यक सूचना

प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

दिनांक:-02.02.2021

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2264, दिनांक-29.08.2019 से प्राप्त निदेश के आलोक में झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 के तहत संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के आधार पर प्रारंभिक विद्यालयों के अर्हता प्राप्त शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों में अपूरित रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती के तहत गैरअनुशंसित अभ्यर्थियों से कोटिवार, जिलावार एवं विषयवार मेरिट के क्रम को भंग किए बिना अनुशंसा की जानी है। सर्वप्रथम हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास/नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित/भौतिकी, जीव विज्ञान/रसायन शास्त्र तदुपरांत संस्कृत विषय की अनुशंसा किये जाने का निदेश है। तदनुसार सीधी भर्ती हेतु उदभूत रिक्त सहित समेकित रिक्तियों के विरुद्ध गढ़वा जिला के हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास/नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित/भौतिकी, जीव विज्ञान/रसायन शास्त्र विषयों के निम्नलिखित अल्पसूचीबद्ध अनुक्रमांक (Roll No.) के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच आयोग कार्यालय कालीनगर, चाय बागान, नामकोम, राँची में दिनांक-02.03.2021 से दिनांक-09.03.2021 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार दो पालियों में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे एवं द्वितीय पाली अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जाँच शुरू होने से दो घण्टा पहले जाँच स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ।

प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

Candidates Shortlisted against vacant posts of 25% Vacancy Earmarked for Working Teacher

DISTRICT-GARHWA

1st Sitting

Date-02.03.2021

Time: 11:30 AM to 01:00 PM

HINDI

Roll No:-

11119116974, 11133125946, 11135126925, 13113131859, 14149152561, 15124161888, 16139175331, 18114180544, 19111184056, 19112184840, 19115186512, 19133194418. (Total-12)

2nd Sitting

Date-02.03.2021

Time: 03:00 PM to 04:30 PM

Roll No:-

19137196243, 19138197236, 20113197904, 20116199066, 21119203785, 23112212011, 26121225842, 28131242773, 28179266467, 29113271011, 29117272152. (Total-11)

1st Sitting

Date- 03.03.2021

Time: 11:30 AM to 01:00 PM

BIOLOGY & CHEMISTRY

Roll No:-

14112136356, 14114136977, 14115137486, 14116137942, 14117138312, 14119138863, 14133146109, 14135146490, 14136147083, 14138147731. (Total-10)

2nd Sitting

Date- 03.03.2021
Time: 03:00 PM to 04:30 PM

GEOGRAPHY

Roll No:-

11123119854, 11125120958, 13117133327, 15118159714, 16111163629, 16126169791, 19115186581, 20113197890,
22114206319, 23111211035, 24118215964. (Total-11)

1st Sitting

Date- 04.03.2021
Time: 11:30 AM to 01:00 PM

MATHEMATICS & PHYSICS

Roll No:-

11118115921, 11120117844, 12111127934, 14152154106, 15113157840, 16124168491, 16130171262, 18116181184,
19125191091, 20111197456, 22117208464, 26114223243.(Total-12)

2nd Sitting

Date- 04.03.2021
Time: 03:00 PM to 04:30 PM

ENGLISH

Roll No:-

11136127323, 11136127804, 15117159338, 22113205859, 30111272560, 30115274670.(Total-06)

1st Sitting

Date- 05.03.2021
Time: 11:30 AM to 01:00 PM

HISTORY & CIVICS

Roll No:-

21113201086, 21113201248, 21115202061, 21116202362, 21116202717, 21117203066, 21118203679, 27116231143,
27119232659, 27120232745, 28112233385, 28114234379.(Total-12)

2nd Sitting

Date- 05.03.2021
Time: 03:00 PM to 04:30 PM

HISTORY & CIVICS

Roll No:-

28117235551, 28117236185, 28117236253, 28118237086, 28121238268, 28122238668, 28122238851, 28130242334,
28130242658, 28131243159, 28132243567, 28136245690.(Total-12)

1st Sitting

Date- 08.03.2021
Time: 11:30 AM to 01:00 PM

HISTORY & CIVICS

Roll No:-

28137245954, 28137246148, 28137246538, 28138247812, 28139248197, 28140248472, 28141249221, 28142249846,
28145251273, 28147252148, 28147252159, 28148252254.(Total-12)

2nd Sitting

Date- 08.03.2021
Time: 03:00 PM to 04:30 PM

HISTORY & CIVICS

Roll No:-

28149252669, 28151253589, 28151253627, 28153255235, 28154255536, 28158257563, 28159258050, 28159258101,
28163259458, 28163259509, 28163259608, 28167261235.(Total-12)

1st Sitting

Date- 09.03.2021

Time: 11:30 AM to 01:00 PM

HISTORY & CIVICS

Roll No:-

28169262039, 28170262558, 28172263454, 28173263682, 28174264218, 28178265895, 28178265905, 28179266467, 28180267049, 28180267105.(Total-10)

2nd Sitting

Date- 09.03.2021

Time: 03:00 PM to 04:30 PM

Roll No:-

28181267694, 28183268550, 28186269447, 28186269871, 28186269935.(Total-05)

2. किसी कारण से अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य आयोग कार्यालय में दिनांक-19.03.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक किया जायेगा। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने का यह अंतिम अवसर होगा। इस अवसर पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी।

3. वांछित प्रमाण पत्रों की सूचना आयोग के वेबसाईट पर दिनांक-04.09.2018 एवं 07.09.2018 को दी जा चुकी है। इस क्रम में पुनः सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी जाँच हेतु उपर्युक्त परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूलप्रति, एक-एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है :-

I. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।

II. पद की अपेक्षा के अनुरूप स्नातक तथा बी.एड. परीक्षा उत्तीर्णता से सम्बंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

III. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए

क) क्षेत्रीय आरक्षण के दावे के लिए झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (प्रासंगिक परीक्षा) की विवरणिका के परिशिष्ट-III के प्रपत्र में।

ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट-I के प्रपत्र में।

ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए दिनांक- 31.03.2013 के पश्चात् निर्गत विवरणिका के परिशिष्ट-II के प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र, जिसमें क्रिमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो। भारत सरकार के अधीन नियोजन हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र राज्य के अधीन नियोजन हेतु मान्य नहीं है।

घ) जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिला के उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए। उससे न्यून/भिन्न स्तरों पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र नियोजन हेतु मान्य नहीं है।

ङ) झारखण्ड सरकार के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन देने वाले अभ्यर्थी के सन्दर्भ में पाँच वर्षों का शैक्षणिक कार्यानुभव सम्बन्धी जिला शिक्षा अधीक्षक के स्तर से निर्गत मूल प्रमाण पत्र। इसका विहित प्रपत्र आयोग द्वारा दिनांक-07.09.2018 की सूचना के माध्यम से जारी किया गया है एवं यह आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

च) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-235, दिनांक-10.10.2019 द्वारा प्रदत्त निदेश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-8425/2013, रंजना कुमारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के मामलें में दिनांक-01.11.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर अव्रजित महिलाओं को अव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। अतः महिला कोटि के अभ्यर्थी पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

नोट: (i) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उस प्रमाण पत्र/ उस कोटि से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र तथा उपर्युक्त विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

(i i) मूल प्रवेश पत्र खो जाने की स्थिति में थाना में दर्ज F.I.R./ सनहा एवं शपथ पत्र के साथ ही अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी।

4. COVID-19 के कारण अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश:-

क) अभ्यर्थी को आयोग परिसर में थर्मल स्कैनिंग के बाद प्रवेश दिया जायेगा।

ख) किसी अभ्यर्थी में COVID-19 के लक्षण पाये जाने पर आयोग परिसर में उनके प्रवेश की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसे अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में आयोग का निर्णय अलग से संसूचित किया जायेगा।

ग) प्रत्येक अभ्यर्थी का नाक और मुँह मास्क से ढका होना अनिवार्य है।

घ) थर्मल स्कैनिंग एवं प्रमाण पत्रों के जाँच के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के बीच तथा जाँचकर्ता पदाधिकारी की आपसी दूरी न्यूनतम 2 मीटर होगी। यही दूरी फोटो एवं हस्ताक्षर मिलान के समय भी सुनिश्चित की जायेगी।

ङ) जाँच हेतु उपस्थित होने पर कोई भी अभ्यर्थी आयोग परिसर के मुख्य गेट से दो मीटर की दूरी भी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

च) उक्त अनुदेशों का विचलन करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं की जायेगी।

5. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकतानुसार रिक्ति के परिपेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच हेतु आमंत्रित कर सकता है।

6. अन्य जिलों के विषयों के अल्प सूचीबद्ध (Shortlisted) अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्यक्रम शीघ्र प्रकाशित होगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग के वेबसाईट को अवश्य देखें।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।